



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिंग
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या : 3606-मा०सं०-01 / वि०उ०नि०लि० / 2013-21-मा०सं०-01 / 2007

दिनांक : २२ जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

प्रशिक्षणोपरान्त अन्तिम संविलीनीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर उत्पादन निगम लिंग के नियुक्ति आदेश सं० 1300-मा०सं०-01 / वि०उ०नि०लि० / 2011 दिनांक 07-05-2011 के सन्दर्भ में तथा उसमें वर्णित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त अधोलिखित सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षुओं) (ई०एण्डएम०) को एतद्वारा दिनांक 26.06.2013 से स्थानापन एवम् अस्थाई सहायक अभियन्ता (ई०एण्डएम०) के पद पर नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के समुख स्तम्भ-6 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (विद्युत एवं यौनिकी)

क्रमांक	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री	वर्ग	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6
1	83120902	कल्याण सिंह	हरीश चन्द्र सिंह	अ०पि०वर्ग	ओबरा
2	86123711	अनिल कुमार यादव	राधे श्याम	अ०पि०वर्ग	ओबरा
3	89110318	प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	बिनय कुमार वर्मा	सामान्य	ओबरा
4	83142385	शैलेष कुमार यादव	महावीर प्रसाद यादव	अ०पि०वर्ग	अनपरा

2- उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं पर उत्पादन निगम लिंग में प्रचलित तथा भविष्य में समय-समय पर जारी किये जाने वाले सेवा नियम, विनियम, प्रशासनिक आदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिंग कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड से सम्बन्धित आदेश लागू होंगे। ज्ञातव्य हो कि उत्पादन निगम की सेवाएं पेंशनरी नहीं हैं, अतः सेवानिवृत्ति पर किसी तरह की पेंशन अनुमन्य नहीं है। पूर्व सेवा योजक के अधीन सेवाएं पेंशनरी होने की स्थिति में भी निगम में पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

3- उपरोक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन तथा स्वास्थ्य उपयुक्तता संतोषजनक पाये जाने के प्रतिबन्ध के अधीन की गई है। चरित्र एवं पूर्ववृत्त के असंतोषजनक पाये जाने की दशा में सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताये हुए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

4- यह नियुक्तियाँ अस्थायी है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के सम्बन्ध में जाति प्रमाण-पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है। यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का दावा झूठा पाया जाता है तो सम्बन्धित सहायक अभियन्ता की सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और झूठे प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उप बन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

5- यदि किसी भी समय चिकित्सा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र अथवा शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य कोई प्रमाण-पत्र झूठा/फर्जी पाया जाता है तो सेवायें बिना कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कामरान रिज़वी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 3606 (1)-मा०सं०-01 / वि०उ०नि०लि० / 2013-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- निदेशक (कार्मिक/तकनीकी/वित्त), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
- मुख्य अभियन्ता, अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/ओबरा तापीय परियोजना, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झॉसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/ओबरा (सोनभद्र)।

क्रमांक: ----2

- 2 :-

- 4- मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- मुख्य अभियन्ता (कारपोरेट स्ट्रेटजी), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता, (मा०सं०-०२/०३/०४/०५/०६)/रिफॉर्म/टाण्डा बाइंडिंग सेल/प्रशिक्षण/उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 9- उप मुख्य लेखाधिकारी (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10- सहायक अभियन्ता (डाटा बेस), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 11- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से,



(प्रकाश चन्द्र अस्थाना)
अनुसन्धान